न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ
पीठासीन अधिकारीः– चम्पालाल जीनगर, RAS

प्रकरण संख्या 289 / 2017 वाद

कंवरलाल

/ / बनाम / /

उमेश व अन्य

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा धारा 88, 188, 209 रा0का0अधि0

निर्णय दिनांक 21.02.2018

पत्रावली पेश हुई । वकील वादी मय अधिवक्ता उपस्थित । वकील वादी ने एक आवेदन पत्र वाद निरस्त किये जाने बाबत पेश कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित आराजी को वादी के पिता किशनलाल पिता कुका जी के द्वारा दिनांक 18.11.1974 को क्रय नही किया गया है। वादी को इस सम्बन्ध में पूर्ण एवं सत्य तथ्यों की जानकारी नही होने से उसके द्वारा सहवन से जल्दबाजी में यह वाद प्रस्तुत कर दिया गया। उक्त आराजी से वादी एवं उसके सभी विधिक वारिसान का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है।और ना ही इस आराजी पर वादी अथवा उसके वंशज का कभी किसी प्रकार का कोई आधिपत्य रहा है। इस आराजी पर प्रारम्भ से ही इसके रेकार्डेड खातेदारान का कब्जा रहा है। और वे ही इस आराजी पर काबिज होकर इसका उपयोग एवं उपभोग करते चले आ रहे है। इन परिस्थितियों में अब वादी इस वाद को आगे नही चलाना चाहते है और बल नहीं देने आधार पर निरस्त कराना चाहते है। अतः वादी का वाद निरस्त कराने बाबत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः वादी का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा